01/6/26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई वकील प्रार्थी उप. प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया खुले में पक्ष को आदेश सुनाया गया।

(signature)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/497

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 170/2023 RCMS2023/497 दायर दिनांकः—14—08—2023

डुंगरराम पुत्र श्री हीराराम जाति जाट साकिन श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 ——— प्रार्थी

बनाम

1—जयनारायण पुत्र श्री गणपतराम जाति जाट
2—सुभाष पुत्र श्री पूर्णराम जाति जाट
3—प्रेमकुमार पुत्र श्री दौलतराम जाति कुम्हार
} साकिनान लालगढिया तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

4—सन्तराम पुत्र श्री औमप्रकाश जाति ब्राहम्ण साकिन बीरमाना
5—रामप्रताप पुत्र श्री रामेश्वर जाति नायक साकिन लालगढिया
} तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

6— शाखा प्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा शाखा सूरतगढ

7—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

——— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिकारी 1955

उपस्थित :—

1— श्री राजाराम भादू, राजवीर भादू अभिभाषक प्रार्थी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

—:— निर्णय —:— दिनांकः— 01.06.2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम उक्त जेरवाद रकबा रोही श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 60/5 में 16—12बीघा , खसरा न0 64/4 में 10—00बीघा एवं खसरा न0 64/7 में 11—16बीघा कुल तादादी 38—08 बीघा रकबा एक साला आवंटन किया गया। इसके पश्चात कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानो की शर्तो की पूर्ण रूप से पालना करने के पश्चात खातेदारी अधिकार दिये गये जिस पर प्रार्थी के द्वारा अपने जैरवाद रकबा को भूमि के विकास हेतू रहन बैंक आफ इण्डिया बड़ौदा शाखा सूरतगढ के किया हुआ है प्रार्थी के नाम से वाके रोही श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 24/117 के खसरा नं0 64/7 में 2.985 है0 , खसरा न0 114/60 में 4.190 है0, खसरा न0 232/64 में 2.530 है0 कुल 9.714 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी वृद्ध एवं अनपढ सीधा साधा काश्तकार है। जैरवाद भूमि पर आवटन से लेकर आज तक कब्जा कास्त प्रार्थी का बदस्तुर चला आ रहा है। उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड के नक्शे में प्रार्थी के कब्जा कास्त मुताबिक तरमीम किया जाना कानूनन प्रावधानो के मुताबिक प्रार्थी हकदार है। प्रार्थी द्वारा उक्त जैरवाद रकबा पर काफी वर्षो से आर्थिक एवं पारिश्रिमिक के द्वारा उच्चे निचे टिब्बो एवं असमतल भूमि को कृषि के लिए उपयुक्त बनाया गया । अप्रार्थीगण बहुत ही चालक किस्म के व्यक्ति है , अप्रार्थी सं0 5 अनुसूचित जाति का सदस्य है। अप्रार्थीगण नाजायज फायदा उठाने के लिए प्रार्थी की खातेदारी भूमि को हड़पने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। अप्रार्थीगण ने एक भू— माफिया गिरोह बना रखा है। जो अनपढ भोले वाले कास्तकारो की भूमि हड़प करने की फिराक में रहते है। अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की निगाहे प्रार्थी रकबा पर पड़ चुकी है। जिससे प्रार्थी को नुकसान पहुचाया जा सके। अप्रार्थीगण का उक्त जैरवाद रकबा के पास कोई रकबा नही है। अप्रार्थी न0 1 अपने राजनैतिक प्रभाव का फायदा एवं अप्रार्थी स0 2 ता 5 के साथ मिल कर प्रार्थी के अच्छे व सुधार किये गये रकबा पर जबरन काबिज होने पर उतारू है। अप्रार्थीगण अकारण ही रंजिश वंश भू—माफिया किस्म में व्यक्तियों के साथ मिल कर प्रार्थी के रकबा पर काबिज होकर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाद हो गये तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई रूपयो पैसो से नही हो सकेगी। इसलिए अप्रार्थी सं0 1 ता 5 को अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि जेरवाद भूमि के मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतू निवेदन किया ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1 ता 6 रजिस्टर्ड समन तलबी सुचना हाजिर नही आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की अमल में लाई गई ।

अभिभाषक की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम उक्त जेरवाद रकबा रोही श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 60/5 में 16–12बीघा , खसरा न0 64/4 में 10–00बीघा एवं खसरा न0 64/7 में 11–16बीघा कुल तादादी 38–08 बीघा रकबा एक साला आवंटन होने के पश्चात खातेदारी अधिकार जारी कर दिये गये । जो प्रार्थी के नाम से वाके रोही श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 24/117 के खसरा नं0 64/7 में 2.985 है0 , खसरा न0 114/60 में 4.190 है0, खसरा न0 232/64 में 2.530 है0 कुल 9.714 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जैरवाद भूमि पर आवटन से लेकर आज तक कब्जा कास्त प्रार्थी का बदस्तुर चला आ रहा है। उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड के नक्शे में प्रार्थी के कब्जा कास्त मुताबिक तरमीम किया जाना कानूनन प्रावधानो के मुताबिक प्रार्थी हकदार है। अप्रार्थीगण बहुत ही चालक किस्म के व्यक्ति है , अप्रार्थी सं0 5 अनुसूचित जाति का सदस्य है। अप्रार्थीगण नाजायज फायदा उठाने के लिए प्रार्थी की खातेदारी भूमि को हड़पने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। अप्रार्थीगण ने एक भू– माफिया गिरोह बना रखा है। जो अनपढ भोले वाले कास्तकारो की भूमि हड़प करने की फिराक में रहते है। अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की निगाहे प्रार्थी रकबा पर पड़ चुकी है। अप्रार्थीगण का उक्त जैरवाद रकबा के पास कोई रकबा नही है। अप्रार्थी न0 1 अपने राजनैतिक प्रभाव का फायदा एवं अप्रार्थी स0 2 ता 5 के साथ मिल कर प्रार्थी के अच्छे व सुधार किये गये रकबा पर जबरन काबिज होने पर उतारू है। अप्रार्थीगण अकारण ही रंजिश वंश भू–माफिया किस्म में व्यक्तियों के साथ मिल कर प्रार्थी के रकबा पर काबिज होकर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है । अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाद हो गये तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई रूपयो पैसो से नही हो सकेगी। और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र ही बेसूद हो जायेगा। इस कारण प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी न0 1 ता 5 इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का गहनता से पठन व मनन किया गया। प्रार्थी के नाम से वाके रोही श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 24/117 के खसरा नं0 64/7 में 2.985 है0 , खसरा न0 114/60 में 4.190 है0, खसरा न0 232/64 में 2.530 है0 कुल 9.714 है0 बारानी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । जिसका प्रार्थी अकेला खातेदार कास्तकार है । प्रार्थी के खातेदार रकबा में किसी अन्य कास्तकार को दखलन्दाजी करने का अधिकार नही है । इसलिए अप्रार्थी न0 1 ता 5 को प्रार्थी के खातेदार रकबा में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करने हेतू पाबन्द किया जाना उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रकरण में दिनांक 25–05–2016 को जारी स्थगन आदेश को यथावत रखते हुये अप्रार्थी नं0 1 ता 5 को पाबन्द किया जाता है कि जैरवाद रकबा ोही श्योनाथपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 24/117 के खसरा नं0 64/7 में 2.985 है0 , खसरा न0 114/60 में 4.190 है0, खसरा न0 232/64 में 2.530 है0 कुल 9.714 है0 बारानी खातेदारी भूमि में वाद–पत्र के निर्णय तक प्रार्थी के कब्जा कास्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वय करे ना किसी अन्य से करवाये एवं मौका की यथा स्थिति बनाये रखे । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)